

# कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: आदेश ::

सत्र 2018-19 हेतु समस्त राजकीय विद्यालयों में समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 21.03.2018 के क्रम में बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा समापन के साथ ही आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है। शेष कक्षाओं का स्थानीय परीक्षा परिणाम दिनांक : 30.04.18 को जारी होना है, जिसके तत्काल उपरांत आगामी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेशित किया जाकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाना है। विद्यालय में अध्ययनरत् रहे इन विद्यार्थियों के आगामी कक्षा में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ के साथ-साथ नवीन एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के नामांकन हेतु प्रवेशोत्सव दिनांक: 26.04.18 से प्रारंभ होना है। प्रवेशोत्सव आयोजन समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 03.04.18, 06.04.18 एवं 17.04.18 में प्रदत्त विस्तृत निर्देशानुरूप दो चरणों में प्रथम चरण - दिनांक : 26.04.18 से 09.05.18 तथा द्वितीय चरण - दिनांक : 19.06.18 से 03.07.18 तक किया जाना है।

प्रवेशोत्सव एवं नामांकन वृद्धि अभियान के सतत् पर्यवेक्षण के लिये निम्नानुसार त्रिस्तरीय पर्यवेक्षण कार्ययोजना रहेगी :-

**1 PEEO स्तर पर** - प्रत्येक पीईईओ के पास अपने एवं परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों हेतु हाउस होल्ड सर्वे में अनामांकित बालक-बालिकाओं की सूची, विद्यालयों के वर्ष : 2018 के लिए निर्धारित नामांकन लक्ष्य की कक्षासमूह वार सूची, परिक्षेत्र की आंगनबाड़ी में अध्ययनरत् बालक-बालिकाओं की सूची, जो आयु अनुरूप विद्यालय में प्रवेश योग्य हैं तथा ऐसे विद्यार्थी, जो उनके अथवा अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत् रहे हैं, परन्तु अध्ययन हेतु इस वर्ष प्रवेश नहीं ले पाए हैं या ड्रॉप आउट हो गए हैं, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार से संधारित सूचियों में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश परिक्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में करवाए जाने की सुनिश्चितता की जानी है। सम्बन्धित PEEO को उक्त सूचियों के अनुरूप अपने परिक्षेत्र के राजकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा हाउस होल्ड सर्वे में उल्लेखित प्रवेश योग्य आयु के बालक-बालिकाओं और अध्ययन नियमित नहीं रखने वाले बालकों के घरों का भ्रमण प्रवेशोत्सव के प्रारम्भ में ही करना है। इस भ्रमण में वे अपने साथ एसडीएमसी सदस्यों, पूर्व विद्यार्थी परिषद के सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा पंचायत सहायक को साथ रखेंगे। तीसरे दिवस प्रथम भ्रमण की समीक्षा करेंगे तथा उनकी संख्यात्मक सूची अन्य समस्त प्रपत्रों के साथ तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अवगत कराएंगे। भ्रमण के उपरांत भी प्रवेश नहीं लेने वाले बालक-बालिकाओं के प्रकरण नामांकन हेतु कठिन प्रकरण माने जाएंगे, अतः इस प्रकार के समस्त हार्ड कोर (कठिन) प्रकरणों पर दिनांक : 30.04.18 को होने वाली एसडीएमसी/अध्यापक-अभिभावक परिषद् की संयुक्त बैठक के साथ आयोज्य शिक्षा संगम कार्यक्रम (निर्देश पत्र दिनांक : 16.04.2018) के दौरान समस्त उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष विस्तृत विमर्श किया जाएगा एवं इस प्रकार के समस्त प्रकरणों के लिए इसी बैठक में यह नियत कर लिया जावे कि आगामी भ्रमण में उनके साथ किसे जाना है, यह उस परिक्षेत्र के एसडीएमसी सदस्य, पूर्व विद्यार्थी, वार्ड पंच अथवा सरपंच हो सकते हैं। यह प्रक्रिया सतत् रूप से जारी रखी जाएगी, जब तक की कैचमेंट एरिया के समस्त बालक-बालिकाएं विद्यालयों में विधिवत प्रवेशित नहीं हो जाए।

PEEO अपने विद्यालयों, ग्राम के सार्वजनिक स्थानों, ऐसे स्थानों, जहां ग्रामीणों की आवाजाही रहती है, पर सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं, छात्रवृत्ति-प्रोत्साहन योजनाओं तथा विद्यालय की उपलब्धियों के चार्ट/पोस्टर चस्पा कर प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे पूर्व छात्र, जिन्होंने उक्त परिक्षेत्र के राजकीय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक/राजनैतिक/व्यापारिक अथवा सरकारी क्षेत्र में विशिष्ट स्थान/सम्मान प्राप्त किया है, का उदाहरण देकर प्रेरित किया जावे। आवश्यकतानुसार उनसे सर्म्पक कर सहायता भी प्राप्त की जावे।

**2 जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर :** - प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी के पास क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालयों का वर्ष : 2018-19 हेतु कक्षासमूह वार निर्धारित नामांकन लक्ष्य

उपलब्ध है। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप प्रवेशोत्सव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाना है। उक्तानुरूप प्रतिदिन क्षेत्राधिकार के समस्त PEEO से दूरभाष पर वार्ता कर प्रवेश एवं नवीन नामांकन संबंधी सूचना प्राप्त करें। PEEO के भ्रमण की जानकारी लेवें, विशेषतः प्रवेश एवं नामांकन हेतु कठिन प्रकरणों की स्थिति जानें। यह सूचना उन्हें प्रतिदिन मण्डल कार्यालय एवं निदेशालय के नियन्त्रण कक्ष में प्रेषित करनी है। जिशिअ तथा अधीनस्थ अतिरिक्त-जिशिअ प्रत्येक ब्लॉक का भ्रमण कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान हेतु ऑन साईट सपोर्ट प्रदान करेंगे। जिन विद्यालयों में नामांकन एवं प्रवेश सम्बन्धी कठिन प्रकरणों की संख्या अधिक हों, वहां जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं PEEO के साथ उस परिक्षेत्र का भ्रमण कर अनामांकित बालक-बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करवाए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास द्वारा सम्बलन प्रदान करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी निदेशालय द्वारा मण्डलवार नियुक्त प्रभारी अधिकारी से सतत् सम्पर्क में रहेंगे। उक्तानुरूप मण्डल कार्यालय, निदेशालय स्तर पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी, एसएसए/रमसा के राज्य कार्यालय के संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी के नियमित सम्पर्क में रह कर उन्हें प्रगति से अवगत कराएंगे तथा उनसे आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करेंगे।

**3 निदेशालय स्तर पर :-**निदेशालय स्तर पर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रभारी श्री मूलचंद मीणा उपनिदेशक, कार्यालय हाजा होंगे तथा सह-प्रभारी, श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, कार्यालय हाजा तथा श्री बुध राम बिश्नोई, सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय हाजा होंगे। उक्त अधिकारी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान का सम्पूर्ण राज्य स्तर पर मण्डल/जिला वार नियमित प्रबोधन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट से अवगत करवाएंगे। निदेशालय में गठित नियन्त्रण कक्ष के अतिरिक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके अधीनस्थ अनुभाग सहित नाम के सम्मुख अंकित संभाग का प्रभारी तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है। समस्त मण्डल प्रभारी आवंटित मण्डल एवं अधीनस्थ जिला कार्यालयों से सतत् सम्पर्क में रहेंगे तथा वहां की प्रगति एवं काठिन्य से अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रवेशोत्सव प्रभारी/सहप्रभारी को नियमित रूप से प्रतिदिन अवगत कराएंगे। साथ ही प्रतिदिन मण्डल उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी तथा सैम्पल आधार पर कुछ PEEO से दूरभाष पर वार्ता कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार सम्बलन प्रदान करेंगे। आवश्यकतानुसार आवंटित मण्डल के जिलों में ऑन साईट सपोर्ट के लिए भ्रमण भी करेंगे, परन्तु यह ध्यान रहे कि उनका भ्रमण कार्यक्रम निरीक्षण अथवा मात्र सूचनाओं के आदान-प्रदान का औपचारिकतापूर्ण कार्यक्रम/गतिविधि मात्र न हो, अपितु काठिन्य निवारण, प्रतिपुष्टि के अनुरूप वांछित सम्बलन एवं ऑन साईट सपोर्ट के लिए हो।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान के नियमित एवं सतत् प्रबोधन हेतु मण्डलवार नियुक्त प्रभारी अधिकारी निम्नांकित विवरणानुसार होंगे :-

| क्र० सं० | मण्डल का नाम | प्रभारी अधिकारी मय पद एवं अनुभाग का नाम, जिसके कार्मिकों के सहयोग से प्रबोधन सम्बन्धी कार्य नियमित रूप से सम्पादित किया जाना है। |
|----------|--------------|--|
| 1        | भरतपुर मण्डल | श्रीमती देवलता चांदवानी, उप निदेशक (योजना), कार्यालय हाजा योजना अनुभाग   |
| 2        | कोटा मण्डल   | श्री हरिमोहन शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा सामान्य प्रशासन अनुभाग   |
| 3        | जयपुर मण्डल  | श्री जीवन शंकर शर्मा, उपनिदेशक (खेलकूद) कार्यालय हाजा खेलकूद/विधि अनुभाग   |
| 4        | अजमेर मण्डल  | श्री इजहार अहमद खान, जिशिअ, कार्यालय हाजा छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन अनुभाग  |
| 5        | जोधपुर मण्डल | श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय हाजा आदर्श विद्यालय अनुभाग   |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 6 | उदयपुर मण्डल  | श्री सऊद अख्तर, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय हाजा भाषाई अल्पसंख्यक अनुभाग / सतर्कता अनुभाग |
| 7 | चूरु मण्डल    | श्री राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ संपादक, कार्यालय हाजा शिविरा अनुभाग                             |
| 8 | पाली मण्डल    | श्री मांगेलाल बुढानियां, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय हाजा प्रशिक्षण अनुभाग    |
| 9 | बीकानेर मण्डल | श्री मूलचंद मीणा, उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा समाज शिक्षा अनुभाग                 |

**नोट :-** उपर्युक्तानुसार नियुक्त समस्त मण्डल प्रभारी आवंटित मण्डल में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के समुचित रूप से आयोजन एवं मण्डल क्षेत्राधिकार में नामांकन वृद्धि अभियान के प्रभावी रूप से आयोजन हेतु पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे । उक्तानुरूप सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा आवंटित मण्डल में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान के समुचित एवं प्रभावी आयोजन की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु सतत् एवं नियमित प्रबोधन की कार्यवाही सम्पादित की जाए ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 20.4.18

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2018-19/ 63

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 3 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
- 5 समस्त जिला कलक्टर ।
- 6 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ।
- 7 उपनिदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा ।
- 8 समस्त मण्डल प्रभारी अधिकारी, कार्यालय हाजा को आवंटित मण्डल के क्षेत्राधिकार में सतत् पर्यवेक्षण एवं नियमित प्रबोधन बाबत निर्देशों की पालना हेतु ।
- 9 समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।
- 10 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) ।
- 11 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- 12 वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
- 13 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
- 14 श्री बुध राम बिश्नोई, सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय हाजा ।
- 15 समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक /सर्व शिक्षा अभियान।
- 16 रक्षित पत्रावली।

  
 उप निदेशक (माध्यमिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर